



भारत निर्वाचन आयोग

प्ररूप-7

पावती सं०.....
(कार्यालय द्वारा भरी जाएं)

(निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 13(2) और 26 देखें)

मृत्यु/स्थान परिवर्तन के कारण निर्वाचक नामावली में अन्य व्यक्ति का नाम सम्मिलित करने का आक्षेप/अपना नाम हटाने/किसी अन्य व्यक्ति का नाम हटाने के लिए आवेदन ।

सेवा में, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,विधान सभा/ संसदीय निर्वाचन

में निर्वाचक नामावली में नीचे उल्लिखित व्यक्ति का नाम सम्मिलित किए जाने के प्रस्ताव पर आक्षेप करता हूं ।

में निवेदन करता हूं नीचे उल्लिखित व्यक्ति के नाम से संबंधित प्रविष्टि को हटाया जाना अपेक्षित है

में निवेदन करता हूं कि निर्वाचक नामावली से मुझसे संबंधित प्रविष्टि हटाई जानी है

मेरे आक्षेप या हटाए जाने के समर्थन में विशिष्टियां नीचे दी जा रही हैं :

आवेदक की विशिष्टियां

(क) नाम

(ख) उपनाम (यदि कोई हो)

(ग) भाग सं.

(घ) क्रम सं.

(ड.) ईपीआईसी सं. (यदि जारी की गई हो)

उस व्यक्ति के ब्यौरे जिसका नाम सम्मिलित किए जाने पर आक्षेप किया गया है या जिसकी प्रविष्टि हटाई जानी है :

(क) नाम

(ख) उपनाम (यदि कोई हो)

(ग) भाग सं.

(घ) क्रम सं.

(ड.) ईपीआईसी सं. (यदि जारी की गई है)

(च) आक्षेप / हटाए जाने के कारण

घोषणा - मैं यह घोषणा करता हूं कि ऊपर वर्णित तथ्य और विशिष्टियां मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है और मुझे मालूम है कि ऐसा कथन करना या घोषणा करना जो असत्य है और जिसे मैं जानता हूं या विश्वास करता हूं कि असत्य है या जिसके सत्य होने पर मैं विश्वास नहीं करता हूं । वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 31 के अधीन दंडनीय है ।

स्थान.....

तारीख

आवेदक के हस्ताक्षर.....

क्षेत्र स्तर सत्यापन अधिकारी की टिप्पणी

की गई कार्रवाई के ब्यौरे
(निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर द्वारा भरा जाना)

श्री/श्रीमती/कुमारीजो का/की निवासी है, का प्ररूप 7 में निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने के आवेदन को स्वीकार कर लिया गया है/नामंजूर कर दिया गया है।

स्वीकार करने (नियम 18/20/26(4)) या उसके अनुसरण में) या नामंजूर करने (नियम 17/20/26(4)) या उसके अनुसरण में) के लिए विस्तृत कारण नीचे दिए गए हैं ।

स्थान:

तारीख : निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर के हस्ताक्षर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर की मुद्रा

लिए गए विनिश्चय की सूचना (निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर द्वारा भरा जाना है और अभ्यर्थी के रिकार्ड पर उपलब्ध पते पर डाक द्वारा भेजा जाना है ।

श्री/श्रीमती/कुमारीका प्ररूप 7 में आवेदन ।

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा प्रेषण के समय डाक टिकट चरूपा किए जाने हैं ।

वर्तमान पता जहां आवेदक मामूली निवास करता है ।

मकान सं.

गली/क्षेत्र या परिक्षेत्र

नगर/गांव

डाक घर

पिन कोड

--	--	--	--	--	--

जिला

राज्य/संघ

राज्यक्षेत्र

(क) स्वीकार कर लिया गया है और श्री/श्रीमती/कुमारीके नाम को निर्वाचन क्षेत्र के भाग सं.क्रम सं. से हटा दिया है ।

(ख)कारण से अस्वीकृत कर दिया गया है ।

तारीख :

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर

पता.....

पावती/रसीद

पावती सं. -----

तारीख -----

श्री/श्रीमती/कुमारी का प्ररूप 7 में आवेदन प्राप्त हुआ है ।

[आवेदक आवेदन की स्थिति जांचने के लिए पावती सं. निर्दिष्ट कर सकता है]

ईआरओ/एईआरओ/बीएलओ का नाम/ हस्ताक्षर